सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 838 राँची, शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-148/2016 का०- 8295-- श्रीमती जया शंखी मुरमु, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पूर्वी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटखोरी, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक- 276/वि०, दिनांक-24.10.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने एवं अभिरूचि नहीं लेने, मशीन से तालाब का निर्माण कराने, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने, निदेश की अवहेलना करने, पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने तथा मुख्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-9960, दिनांक 25.11.2016 द्वारा श्रीमती मुरमु से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती मुरमु ने पत्रांक-421, दिनांक 24.05.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्रीमती मुरमु के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7573, दिनांक 28.06.2017 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-

982/जि०ग्रा०, दिनांक 01.09.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती मुरमु के स्पष्टीकरण पर असहमति प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती मुरमु के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2799(HRMS), दिनांक 26.11.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-121, दिनांक 16.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती मुरमु के विरूद्ध गठित कुल-11 आरोपों में से आरोप सं०-3 एवं 5 को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप सं०-9 में प्रशासनिक चूक का दोषी प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती मुरमु के विरूद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती मुरमु के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 838 -- 50